

भारत में सशस्त्र हिंसा वाले राज्य

मानवीय कीमत और राजनीतिक प्राथमिकताओं का जायजा

सशस्त्र हिंसा को रोकने और उसमें कमी लाने के उद्देश्य से भारत की नीतियों और सक्रियतावाद (एक्टिविज्म) पर आमतौर पर देश को होनेवाले सैन्य खतरे ही परंपरागत तौर पर हावी रहे हैं। इरादा हो या ना हो, इस यथार्थवादी सोच की वजह से सशस्त्र हिंसा के अन्य खतरों के स्रोतों पर से सरकार का ध्यान हटा है। अमेरिका पर 9/11 के हमलों, देश में हुई आतंकवाद की घटनाओं, खासकर 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले और मुंबई पर 26-29 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर पिछले कुछ सालों से सरकार अलगाववाद और अन्य देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर अधिक ध्यान दे रही है। लेकिन मृतकों, घायलों, पीड़ितों और प्रभावित लोगों की संख्या के लिहाज से हिंसा के अन्य रूप कहीं ज्यादा विनाशकारी होते हैं। भारत में हिंसा के इन अन्य रूपों में जाति और दहेज से जुड़े अपराध खासतौर पर अधिक गंभीर हैं, जबकि आपराधिक हिंसा और आत्महत्या जैसे अपराध सभी देशों में मौजूद हैं।

हालांकि भारत में हिंसा से जुड़ी समस्याएं गंभीर और व्यापक स्तर पर फैली हैं, लेकिन अन्य देशों की तुलना में यहां हिंसक मौतों की दर बहुत अधिक नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मानव हत्या दरों की दृष्टि से भारत का स्थान निचले-मध्य क्रम में आता है (तालिका 1 देखें)। लेकिन भारत के राष्ट्रीय आंकड़े 28 राज्यों और सात केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच के बड़े अंतर को नहीं दर्शा पाते। सशस्त्र हिंसा की समस्या उत्तर, पूर्वोत्तर और माओवाद से प्रभावित राज्यों में कहीं अधिक गंभीर है। ये माना जाता है कि देश के बहुत से दक्षिणी राज्यों में इसका प्रभाव काफी कम देखा गया

है। ये अंतर देश के हिंसा वाले बड़े शहरों में भी दिखाई देता है। मसलन, दिल्ली में कोलकाता की तुलना में हिंसा एक ज्यादा बड़ी समस्या है।

ये विषय विवरण (इश्यू ब्रीफ) मूलतः तीन समस्याओं – विद्रोह (insurgency), आतंकवाद (terrorism) और आपराधिक हिंसा (criminal violence) पर तुलनात्मक नजरिए से ध्यान केन्द्रित करता है। सशस्त्र हिंसा के स्वरूप और प्रवृत्ति की जांच की तहकीकात के अलावा ये सशस्त्र हिंसा की समस्या को काबू में लाने के लिए बनी सरकार की नीतियों और खर्चों का भी निरीक्षण करता है। इस विषय से

जुड़े कुछ अहम निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- 2009 में आपराधिक हिंसा से हुई मौतों आतंकवादी गतिविधियों की वजह से हुई मौतों से 14 गुना ज्यादा थी। इनमें 32,369 मानव हत्याएं हुई जबकि आतंकवाद से होनेवाली मौतों की संख्या 2,231 थी।
- 1994 से 2009 के बीच आतंकवादी हिंसा की वजह से कुल 58,288 मौतें हुईं यानि हर साल औसतन 3,600 से ज्यादा जानें गईं। खबरों के मुताबिक मरनेवालों में आधे से अधिक लोग, तकरीबन 52 प्रतिशत, आम नागरिक और सुरक्षा बलों के सदस्य थे।
- 1988 से 2009 के बीच कश्मीर विवाद की



26-29 नवंबर 2008, मुंबई आतंकवादी हमले में जलता ताजमहल होटल
© अल्ताफ कादरी / एपी फोटो

वजह से आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कम-से-कम 42,657, जबकि अन्य सूत्रों के मुताबिक 80,000 से भी अधिक मौतें हुईं।

- पिछले सालों में माओवादी विद्रोह बहुत तेजी से बढ़कर देश के 28 में से 20 राज्यों और देश के कुल 626 जिलों में से करीब एक-तिहाई जिलों में फैला है। माओवादी विद्रोहों की वजह से 2009 में कुल 896 जानें गईं जिनमें 392 नागरिक शामिल थे।
- देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंसक अपराधों की अलग-अलग दरें देखने को मिलीं। नागालैंड में जहां प्रति 100,000 व्यक्ति पर हिंसा की दर 10 से कम दर्ज की गई, वहीं दक्षिण के केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रति 100,000 पर 111 हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं।
- 2009 में पुलिस ने घरेलू हिंसा की वजह से होनेवाली 8,383 मौतों की रिपोर्ट दर्ज की। इनमें दहेज की वजह से होनेवाली हत्याएं भी शामिल थीं। पति और रिश्तेदारों द्वारा यातना और क्रूरता के 89,546 अघातक मामले दर्ज किए गए।
- सरकारी खर्च में घरेलू हिंसा की बजाय अंतरराष्ट्रीय खतरों को प्राथमिकता दी

जाती है। 2008-09 के बजट में राष्ट्रीय रक्षा को (105,600 करोड़ रुपए यानि 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पुलिस और अर्धसैनिकों (20,600 करोड़ रुपए यानि 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के मुकाबले पांच गुना ज्यादा धन आवंटित किया गया।

- सशस्त्र हिंसा पर प्रभावी नीति बनाने के लिए उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता और संपूर्ण सरकारी तालमेल की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए रक्षा और गृह मंत्रालयों की सहभागिता के साथ व्यवस्थित नागरिक-समाज सहयोग भी जरूरी है। साक्ष्यों पर आधारित मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि आधार-रेखा (बेसलाइन) तय हो और वक्त-वक्त पर उसका आकलन हो।

भारत सशस्त्र हिंसा आकलन (India Armed Violence Assessment) सशस्त्र हिंसा के कई पहलुओं का मूल्यांकन करता है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र हिंसा के कारणों और प्रतिक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा करना है। यहां जिन मुद्दों से संक्षेप में परिचय कराया जा रहा है, उनपर आनेवाले अगले विषय विवरणों (इश्यू ब्रीफ) में विस्तार से चर्चा की जाएगी। अगले संस्करणों में कई भारतीय विशेषज्ञ हिंसा की वजह से होनेवाली मृत्यु की

दर और उसके नकारात्मक प्रभाव के कारण तथा भौगोलिक वितरण, नक्सल और अन्य विद्रोहों का असर, जातिगत हिंसा के स्तर और विभाजन, कानून पर अमल और पुलिस की भूमिका के स्वरूप, और छोटे हथियारों के संकलन और प्रसार जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन सभी मुद्दों पर देश के भीतर बहस होनी चाहिए जिसमें विभिन्न देश की सरकारों के अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सामाजिक संगठनों और प्रवासी समूहों की भी दिलचस्पी होगी।

आंकड़ों पर एक नजर

कई देशों की तरह भारत में भी सशस्त्र हिंसा के आंकड़ों को पूरी तरह सटीक मानने की बजाय सांकेतिक माना जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, आंकड़ों के कई स्रोत हत्या के स्तरों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाते हैं। कई विश्लेषक आपराधिक-न्यायिक आंकड़ों को सबसे सटीक मानते हैं जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एकत्रित किए गए जन स्वास्थ्य स्रोत लगातार भारत में हत्या दर को दुगुना बताते रहे हैं। जैसा कि तालिका 1 से पता चलता है, ऐसा भारत के मामले में ही नहीं है। आमतौर पर संकीर्ण अदालती फैसलों पर निर्भर होने की वजह से आपराधिक आंकड़े हत्या की दर को कमतर दिखाते हैं। जन-स्वास्थ्य आंकड़े आमतौर पर मृत्यु प्रमाणपत्रों के नमूनों पर निर्भर होते हैं, जो मेडिकल जांच की रिपोर्ट के आधार पर बनता है। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग सिस्टम के कमजोर और संकीर्ण होने की वजह से दोनों श्रेणियों पर असर पड़ता है।

हिंसा और शोषण पर सटीक राष्ट्रीय आंकड़ों के अभाव की वजह से भारत में हिंसक मौतों और अत्याचार के स्तरों की तुलना करना बेहद मुश्किल है। राष्ट्रीय स्तर पर समस्या के विश्लेषण को दो मुख्य स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है, और इन दोनों स्रोतों में गंभीर दोष होते हैं। हिंसक मौतों और हत्या के अन्य रूपों पर सबसे सुविस्तृत आंकड़ों के स्रोत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के वार्षिक रिपोर्ट हैं। एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अंदर काम करनेवाली एक पुलिस एजेंसी है जो राज्य और नगर की पुलिस एजेंसियों से आंकड़े इकट्ठा करती है। ये आंकड़े अपराध पर पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज की जानेवाली रिपोर्टों के तरीकों में भारी अंतर दर्शाते हैं। राज्यों द्वारा

टेबल 1 पब्लिक-हेल्थ एंड क्रिमिनल-जस्टिस सोर्स के अनुसार चुनिंदा देशों की अंतरराष्ट्रीय हत्या रैंकिंग

देश	वर्ष	प्रति 100,000 हत्या, क्रिमिनल-जस्टिस सोर्स	प्रति 100,000 हत्या, पब्लिक-हेल्थ सोर्स
दक्षिण अफ्रीका	2008	37	68
ब्राजील	2008	22	25
रूस	2008	14	20
श्रीलंका	2008	7.4	6.8
पाकिस्तान	2008	6.8	3.4
अमेरिका	2008	5.2	6.0
ईरान	2004	2.9	2.5
भारत	2007	2.8	5.5
नेपाल	2007	2.2	13.6
चीन	2007	1.2	2.1
जर्मनी	2008	0.8	0.6
इंडोनेशिया	2004	0.7	9.3
जापान	2008	0.5	0.5

Note: Latest available data are shown, rounded to two significant digits.

Sources: UNODC Homicide statistics (2003-08). The source of all public-health data is the World Health Organization, except for Brazil (Brazilian Ministry of Health), Germany, and Russia (WHO European Health for All Database), and United States (Pan American Health Organization). Sources of criminal-justice data are Ministry of Justice (Brazil), national police (India, South Africa, and Sri Lanka), national statistics office (China, Nepal, and Pakistan), UN Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems (Germany, Iran, Japan, Russian Federation, and United States), and Interpol (Indonesia).

अपराध की रिपोर्टिंग के तरीकों से ये पता चल सकता है कि एनसीआरबी रिपोर्टों के मुताबिक क्यों दक्षिणी राज्यों में अपराध दर सबसे ज्यादा है जबकि आमतौर पर वहां अपराध की दर कम मानी जाती है (एनसीआरबी, 2011 ए)। नतीजतन एनसीआरबी रिपोर्टों में इस्तेमाल किए जानेवाले आधिकारिक आंकड़े निर्णयात्मक होने की बजाय सांकेतिक ज्यादा हैं।

भारत की किसी सरकार ने अबतक आतंकवादी हिंसा की वजह से मारे जानेवाले लोगों की व्यापक रिपोर्ट रखी हो, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बल्कि दिल्ली का एक निजी संस्थान, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल (SATP), आतंकवाद और सशस्त्र संघर्षों पर आंकड़े इकट्ठा कर उनपर रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिनमें गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और समाचार मीडिया के आंकड़े भी शामिल हैं। एसएटीपी आंकड़ों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके स्रोतों की कमजोरियों की वजह से इसकी भी सीमाएं हैं। उदाहरण के तौर पर मृतकों को आतंकवादियों या नागरिकों के तौर पर या "युद्ध में मारे गए" या "गिरफ्तारी के बाद मरे" के तौर पर वर्गीकृत करना भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे आंकड़ों में मुठभेड़ में मौत के आरोपों, या भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़ी न्यायेतर मौतों की पहचान और उनकी व्याख्या करना तकरीबन नामुमकिन है।² इससे हिंसक मौत के पूरे आंकड़ों पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है या नहीं, ये फिलहाल मालूम नहीं है।

हिंसा या आतंकवाद ?

भारत में आतंकवाद सशस्त्र हिंसा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन अधिकांश मौतों की



गया, बिहार में माओवादियों द्वारा आयोजित एक रैली में जमा हुए ग्रामीण. 2009
© मनीष भंडारी/एपी फोटो

वजह आतंकवाद नहीं है। बल्कि ज्यादातर मौतों की वजह हत्या के अलग-अलग मामले होते हैं। जैसा कि चित्र 1 से पता चलता है, 2009 में में आतंकवादी गतिविधियों से होनेवाली मौतों की तुलना में हत्या के 14 गुना ज्यादा मामले दर्ज हुए थे – हत्या के 32,369 मामले जबकि आतंकवाद से होनेवाली मौत के 2,231 मामले (एनसीआरबी, 2011ए; एसएटीपी, 2010)। हिंसक अपराधों को रोजाना मीडिया की खबरों में ज्यादा जगह जरूर मिलती है, लेकिन जैसा कि गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है, आतंकवाद ही सरकार


की प्राथमिकता है (गृह मंत्रालय, 2010ए)।

भारत में उपद्रव और आतंकवाद के खतरे बहुत जटिल और बहुआयामी हैं। इस तरह की हिंसा से जुड़े तकरीबन सभी संघर्ष एक दशक से भी ज्यादा पुराने हैं, और इनकी स्थानीय जड़ें बहुत मजबूत हैं (आचार्य, 2006, पृ.सं. 320)। भारत में अलगाववादी और आतंकवादी संघर्ष के कई रूप पुरानपंथी राष्ट्रवादी या नस्ल-राष्ट्रवादी (ethno-nationalist) आंदोलन को शामिल करते हैं, जैसे कश्मीर या पूर्वोत्तर राज्यों में। इसके अलावा कई समकालीन समस्याएं हैं, जैसे प्रभावी प्रशासन की कमी, जिससे माओवादी (या नक्सली) उपद्रव बढ़ता जा रहा है।

भारत में पिछले कुछ सालों में हुए बड़े आतंकवादी हमलों में निम्नलिखित घटनाएं शामिल हैं (एसएटीपी, 2009, 2010)–

- जयपुर, 13 मई 2008, दो की मौत, करीब 20 घायल
- बेंगलोर, 25 जुलाई 2008, दो की मौत, करीब 20 घायल
- अहमदाबाद, 26 जुलाई 2008, 56 की मौत, 200 से ज्यादा घायल
- मुंबई, 26-29 नवंबर 2008, 164 की मौत और कम-से-कम 308 घायल
- नई दिल्ली, 13 दिसंबर 2008, 30 की मौत,

चित्र 1 अपराध और आतंकवाद में हुई मौत की तुलना, 2005-09



स्रोत: एनसीआरबी, 2011; एसएटीपी, 2010

100 से ज्यादा घायल

- पुणे, 13 फरवरी 2010, 9 की मौत, 45 घायल
- नई दिल्ली, 20 सितंबर 2010, दो घायल

रिपोर्टों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर घटनाओं के लिए इस्लामिक संगठन जिम्मेदार थे। सच है कि अलगाववादी विद्रोह के खतरों की सैद्धांतिक जड़ें अलग-अलग होती हैं। माओवादी या नक्सलवादी संघर्ष ज्यादातर "लाल बेल्ट" में फैला हुआ है, लेकिन देश के 28 में से 20 राज्यों और कुल 626 में से बेहद पिछड़े और गरीब करीब 200 जिलों में इसका प्रभाव है। हालांकि ये उग्रवाद पहले आदिवासी और ग्रामीण इलाकों तक सीमित था, लेकिन अब देश के शहर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं (रमना, 2009)। उदाहरण के तौर पर, 15 फरवरी 2008 को 400 से 500 नक्सलियों ने उड़ीसा के नयागढ़ और दसपल्ला शहरों के पुलिस थानों पर हमला किया जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई (वेंकटरमानी, 2010)। इन खतरों से निपटने के लिए भारत ने बातचीत के रास्ते के साथ-साथ सुरक्षा बलों की तैनाती का रास्ता अपनाया, जिसमें दूसरा रास्ता अधिक महत्वपूर्ण रहा। इसके मिले-जुले नतीजे सामने आए हैं— पंजाब जैसे स्थानों में, जहां सरकार ने सेना का प्रयोग किया वहां से आतंकवाद का करीब-करीब नामोनिशान मिट गया। लेकिन मिजोरम (नीचे देखें) में विद्रोहियों को चुनाव प्रक्रिया के जरिए मुख्याधारा में लाने की कोशिश की गई (गिल, 1997, भौमिक, 2007, पृ.सं. 12-13)। विकास की पहल और सुरक्षा बलों के जरिए सरकार ने माओवादी विद्रोह की समस्या को संबोधित करना बस शुरू ही किया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगेगा, या खतरे से पूरी तरह निपटने तक कितनी जानें जा चुकी होंगी।

जैसा कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बजट से पता चलता है, आतंकवाद और अलगाववाद भारत के अधिकारियों की प्राथमिकताएं हैं (नीचे देखें)। यथार्थवादी राजनीतिक नजरिया — जिसकी प्राथमिकता भारत के सामने मौजूद खतरे हैं — केन्द्र सरकार की शक्ति को कमजोर करने में लगे पड़ोसी देशों और समूहों की सैन्य क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करता है। अंतरराष्ट्रीय रूप से विवादित माने गए क्षेत्रों, खासतौर पर कश्मीर और पूर्वोत्तर, पर जोर देने से इंसानी सुरक्षा के सामने मौजूद बाकी खतरों, जैसे सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद और अपराध, पर से ध्यान हट जाता है। इस बड़े अंतर की ओर सबका ध्यान जाने लगा है। भारत के सामाजिक संगठनों के

बड़े तबके ने इस अंतर को स्वीकार किया है (आचार्य और आचार्य, 2002)।

आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष

'आतंकवाद' का अर्थ आमतौर पर राजनीतिक रूप से प्रेरित अलगाववादी हिंसा या अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रायोजित राजनीतिक हिंसा से लगाया जाता है। इसमें सांप्रदायिक या संप्रदायवादी हिंसा शामिल नहीं है (हॉफमैन, 2006, अध्याय 1)। परिभाषा की इस संकीर्णता के बावजूद भारत दुनिया के आतंकवाद-प्रभावित देशों में शामिल है (यूएसडीओएस, 2009, पृ.सं. 141)। हालांकि बहुत से विशेषज्ञ पर्यवेक्षक आतंकवाद की इस अवधारणा को एक बड़ी समस्या मानते हैं। लेकिन भारत के कई विशेषज्ञों के बीच, यहां तक कि उन पर्यवेक्षकों के बीच भी जो आतंकवाद के कारणों की जड़ों के बारे में चिंतित हैं, ये अवधारणा व्यापक रूप से मान्य है (आचार्य, सिंहदेव, और राजारत्नम 2010)। एसएटीपी के आंकड़े दिखाते हैं कि 1994 से 2009 के बीच आतंकवादी हिंसा की वजह से 55,643 मौतें हुईं, यानि प्रतिवर्ष औसतन 3,400 से ज्यादा। इनमें से 52 प्रतिशत मरनेवाले आम नागरिक और सुरक्षा बलों के सदस्य थे (चित्र 1 देखें)।

खतरे की गंभीरता को देखते हुए इसमें आश्चर्य नहीं कि भारत सरकार आतंकवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखती है। शहरी केन्द्रों पर हाल में हुए हमले और माओवादी विद्रोह का तेजी से फैलना इस चिंता को और बढ़ाता है (प्रकाश, 2009)। आधिकारिक दावों के उलट, कश्मीर में आतंक.

वाद कम नहीं हुआ है, जैसा कि 2010 की गर्मी के बाद से शुरू हुए हिंसक विरोधों के फिर से सिर उठाने और जवाब में की गई कड़ी कार्रवाई से पता चलता है (द इकॉनोमिस्ट)। नीचे दिए गए तीनों खंडों में प्रमुख आतंकवादी या विद्रोही खतरों पर विस्तार से चर्चा की गई है।


कश्मीर में आतंकवाद और विद्रोह

1947 में भारत और पाकिस्तान के आजाद होने के बाद से जम्मू-कश्मीर दोनों देशों के बीच आज भी विवाद का एक विषय बना हुआ है। 1947 में ही अधिमिलन दस्तावेज (instrument of accession) के तहत कश्मीर भारत में शामिल हो गया। पाकिस्तान का दावा है कि चूंकि राज्य की अधिकांश आबादी मुसमलान है और उनसे अधिमिलन की प्रक्रिया के दौरान सलाह नहीं ली गई, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। भारत लगातार जनमतसंग्रह (referendum) की मांग को नकारता रहा है और उसकी बजाए 'नियंत्रण रेखा' (लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी) की योजना को तरजीह देता रहा है, जिसके तहत 1947-48 युद्ध में पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए इलाकों को भारत स्वीकार कर लेगा (चारी, 2006, पृ.सं. 130-31)। भारत ने अबतक किसी बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है और बार-बार यह कहता रहा है कि 1972 में हुए द्विपक्षीय शिमला समझौते में ही कश्मीर मुद्दे पर बातचीत का बुनियादी ढांचा दिया गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर 1947-48 और 1965 में बड़े पैमाने पर लड़ाइयां हुईं हैं, और इसके अलावा कई

चित्र 2 आतंकवादी हिंसा में हुई मौत के आंकड़े, 1994-2009


- आतंकवादी (27,529)
- आम नागरिक (22,286)
- सुरक्षा बल (5,828)



स्रोत: एसएटीपी, 2010


चित्र 3 कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में हुई मौत, 1988-2009

- आतंकवादी (22,174)
- आम नागरिक (14,566)
- सुरक्षा बल (5,917)



स्रोत: एसएटीपी, 2010

चित्र 4 जम्मू और कश्मीर में हत्या के आंकड़े



स्रोत: गृह मंत्रालय, 2010ए, पृ. 6


छोटी-छोटी लड़ाइयां बाद के सालों में भी होती रही हैं, जिनमें 1999 का कारगिल युद्ध बेहद अहम है। 1989 के शुरुआत में कई विदेशी घुसपैठिए, जिनमें अफगानिस्तान के कबाइली लड़ाके भी शामिल थे, पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में घुस आए। कश्मीर में इस घुसपैठ के साथ-साथ बढ़ते जन-विद्रोह के रूप में उग्रवाद का सबसे खूनी दौर देखा (आचार्य, 2004, पृ.सं. 55)। तबसे भारतीय सुरक्षा बलों का इन उग्रवादी गुटों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष चलता रहा है जिसमें आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कम-से-कम 42,657 जानें और अन्य स्रोतों (एसएटीपी, 2010, मिश्रा, 2010) के मुताबिक 80,000 से ज्यादा जानें गई हैं। यानि 1988 से 2009 तक औसतन हर साल कम-से-कम 1,900 – या संभवतः उससे दुगुनी – मौतें हुई हैं (चित्र 3 देखें)।

कश्मीर में तैनात सैनिकों और अर्धसैनिकों की अनुमानित संख्या 170,000 से 500,000 तक है (एएफपी, 2011, बीबीसी 2011)। अगर न्यूनतम अनुमान को भी सही मान लिया जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है – ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी की कुल सैन्य ताकत

से भी बड़ी, अफगानिस्तान में तैनात समूचे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग बल से भी बड़ी (आईआईएसएस, 2010, पृ.सं. 129, 134, 168, नाटो, 2010)। सुरक्षा बलों पर मानवाधिकारों के हनन के जबर्दस्त आरोप लगते रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पर अमनेस्टी इंटरनेशनल की 2009 की एक रिपोर्ट का दावा है कि 2008 में कपर्कू के दौरान सुरक्षा बलों ने कम-से-कम 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 'कश्मीर में 1989 से चले आ रहे सशस्त्र संघर्ष के दौरान जबरन गायब कर दिए जाने जैसे अपराधों समेत पिछले अपराधों के लिए दंड मुक्ति दी जाती रही' (एआई, 2009)।

गृह मंत्रालय का दावा है कि 2004 से हिंसा की घटनाओं में लगातार कमी आई है (चित्र 4 देखें)। मंत्रालय मानता है कि 'सरकार द्वारा उठाए गए समग्र उपायों और शांति कायम करने की लोगों की ख्वाहिश के कारण' कश्मीर में संपूर्ण सुरक्षा के हालात में 'स्पष्ट सुधार' हुआ है (गृह मंत्रालय, 2010ए, पृ.6)। सरकार को मिली सफलताओं में 'आतंकवादियों और सरहद के पार से प्रायोजित हिंसा' की चुनौती का सामना करना शामिल है (गृह

चित्र 5 पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादी हिंसा में मरनेवालों की संख्या, 2005-09



स्रोत: एसएटीपी, 2009ए

मंत्रालय, 2010ए, पृ.सं. 7-11)। हालांकि स्वतंत्र आंकड़ों के अभाव में ऐसे बयानों का मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है और 2010 में हिंसा की वापसी साबित करती है कि ऐसे बयान को सही मानने में सतर्कता बरती जानी चाहिए।

भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ज्यादा प्रभावी सुरक्षा गतिविधियां और उसके साथ-साथ ज्यादा संवेदनशील अधिकारियों के नेतृत्व में उठाए गए कदमों की वजह से कश्मीर में पिछले दशक में होनेवाली मौतों की संख्या में नियमित कमी आई। लेकिन 2010 में एक स्थानीय विद्रोह के रूप में संघर्ष फिर शुरू हुआ और 1987-91 में फिलीस्तीनी इतिहास की तरह ही आतंकवादियों द्वारा किए जानेवाले आक्रमण की तुलना में नागरिकों का विरोध प्रदर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंसा की घटनाएं अभी भी होती हैं। असंतुलित मुठभेड़ों में भारतीय सुरक्षा बलों ने 2010 में 100 कश्मीरी प्रदर्शनकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों को मौत के घाट उतार दिया। प्रदर्शनकारियों ने भी कई बार हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है, जैसे नवंबर 2010 में कुछ कश्मीरी युवकों ने दो पुलिस अफसरों को मार डाला (द इकोनॉमिस्ट, 2010)।

लगातार जारी हिंसा दर्शाती है कि आतंकवाद या विद्रोह से निपटने के लिए पूरी तरह सशस्त्र बलों पर आश्रित होने के नतीजे भी सीमित ही होंगे। ये भी सच है कि लोकतांत्रिक प्रशासन और राज्य में विकास के लिए व्यापक स्तर पर सहायता के बाद भी कश्मीरियों के, खासतौर पर आत्मसमर्पण करनेवाले आतंकवादियों के, असंतोष को कम नहीं किया जा सका है। आत्मसमर्पण करनेवाले आतंकवादियों द्वारा खड़ी की जानेवाली समस्याएं भारत के मामले में ही नहीं हैं। बल्कि, ये उन मुद्दों के महत्व को दर्शाती हैं जिनसे निपटना हर जगह मुश्किल है (मुग्गाह 2009)।⁹

पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद और विद्रोह

अलगाववादी आंदोलनों और जातीय सफाया (एथनिक क्लेजिंग) के रूप में नस्ली-राजनीतिक अशांति और सशस्त्र हिंसा पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त रही है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के विभिन्न बहुनस्ली और बहुसांस्कृतिक समूहों ने देश में विलय को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ये अभी भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील और विद्रोह

चित्र 6 माओवादी हिंसा में मरनेवालों की संख्या, 2005-09



स्रोत: एसएटीपी, 2009ए

करने को तत्पर रहते हैं। हालांकि मृतकों की संख्या देखी जाए तो इनमें से अधिकांश संघर्ष पिछले कुछ सालों में पहले की तुलना में स्थिर रहे हैं (देखें चित्र 5)।

वैसे पूर्वोत्तर संघर्ष के मूल कारण हर राज्य में अलग-अलग हैं, लेकिन इनके कुछ लक्षण एक जैसे हैं। असम में कई विद्रोही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने और वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) गैर-असमी अधिकारियों, देश के बाकी राज्यों से होनेवाले कानूनी प्रवसन और बांग्लादेश से होनेवाले गैर-कानूनी प्रवसन के खिलाफ छिड़नेवाले हिंसक विरोधों का अगुआ है। इसी राज्य में जनजातीय समुदायों ने अपनी उपेक्षा और भेदभाव के खिलाफ विद्रोह किया (भौमिक, 2004, पृ.सं. 225)। नागालैंड में आतंकवाद वहां के मूल निवासियों के प्रतिनिधि नागा नैशनल काउंसिल की आजादी की मांग से उपजा है। त्रिपुरा में उग्रवाद संकीर्ण धार्मिक और नस्ली मुद्दों से जुड़ा है। मणिपुर में अशांति का मूल कारण है वहां के लोगों की बहुनस्ली और बहुसांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने का प्रयास (सैकिया, 2001)।

केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह से

निपटने की कोशिशों के लिए सुरक्षा बलों और राजनीतिक उदारता का इस्तेमाल करती है, जिसके तहत विद्रोहियों को राज्य की सरकारों में शामिल कर लिया जाता है। इन दोनों प्रकार के प्रयासों का मिला-जुला असर दिखाई दिया है। मिजोरम में सरकार ने विद्रोही समूहों को मुख्याधारा की चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया है (भौमिक, 2007, पृ.सं. 12-13)। इसके ठीक विपरीत असम में हालात काफी खतरनाक हैं। स्थानीय जनता और विभिन्न हिमायती समूह हिंसा को रोकने के लिए सेना पर अत्यधिक निर्भरता और उसकी वजह से मानवाधिकारों के हनन की आलोचना करते हैं (नेपराम, 2009)। 1958 के आर्म्ड फोर्सिस (स्पेशल पावर्स) एक्ट जैसे कानून सेना को उनकी गतिविधियों के लिए कानूनी संरक्षण देते हैं, जिसकी वजह से समझौतों से ज्यादा हिंसक दमन पर निर्भरता बढ़ जाया करती है (एफएसपीए, 1958)।

माओवादी विद्रोह से पहुंची हानि

भारत में कई वामपंथी चरमपंथी समूह नक्सली या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के नेतृत्व में सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड,

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य इलाकों में हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी नाम के एक गांव में 1967 में किसान विद्रोह के रूप में माओवादी विद्रोह की शुरुआत हुई। 1970 के उत्तरार्द्ध में जब माओवादी आंदोलन के अधिकांश नेताओं की मौत हो गई या वे जेल चले गए, तो विद्रोह की तीव्रता कम होने लगी। लेकिन ये आंदोलन एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है।


माओवादी हिंसा, आक्रमणों की संख्या और घातकता, दोनों के लिहाज से बढ़ती दिखाई दे रही है। माओवाद से प्रभावित राज्यों में नवंबर 2009 से केन्द्र सरकार के अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों द्वारा 'समन्वित और संयुक्त कार्रवाई' ऑपरेशन ग्रीन हंट के बावजूद ये हिंसा तेजी से बढ़ रही है (गृह मंत्रालय, 2010ए, पृ.सं. 6)। माओवादी गतिविधियों की वजह से मरनेवालों की संख्या पिछले सालों में बढ़ी है। 2009 में ये संख्या 896 थी (देखें चित्र 6), जिसमें 392 आम नागरिक थे (एसएटीपी, 2009बी)।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने एक बेहद चर्चित बयान में कहा कि वामपंथी उग्रवाद देश के सामने 'शायद सबसे गंभीर घरेलू खतरा' है। उन्होंने ये भी कहा कि 'तमाम कोशिशों के बावजूद, प्रभावित राज्यों में हिंसा लगातार बढ़ रही है' (इंडियन एक्सप्रेस, 2009)। ये आंदोलन कई ऐसे आदिवासी इलाकों में पैठ बना चुका है, जहां शिक्षा का स्तर बेहद नीचे है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और जहां सरकार की कोई आधिकारिक उपस्थिति नहीं है। गृह मंत्रालय के मुताबिक

वामपंथी उग्रवादी उन स्थानों पर सक्रिय हैं, जहां जमीनी स्तर पर, प्रशासनिक ढांचे ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। वे स्थानीय मांगों के समर्थन में आगे आते हैं, और सुविधा से वंचित दूरदराज के इलाकों में रहनेवाले लोगों के मन में व्याप्त असंतोष, उपेक्षा और अन्याय की भावना का फायदा उठाते हैं। (गृह मंत्रालय, 2010ए, पृ.सं.17)

माओवादी विद्रोही विकास कार्यों पर सिलसिलेवार ढंग से हमला करते हैं जिससे सरकार के प्रभुत्व और प्रभाव को ठेस पहुंचाई जा सके। उन्होंने स्कूल की इमारतों पर हमला किया है, रेलवे, सड़कों, बिजली और टेलीकॉम की सुविधाओं को निशाना बनाया है (गृह मंत्रालय,

चित्र 7 रिपोर्ट की गई हत्याएं, हत्या के प्रयास, और संबंधित मौत, 2005-09



स्रोत: एनसीआरबी, 2010ए, 2011ए, 2011बी

2010 ए, पृ.सं. 17)। विद्रोहियों से ये खतरा पूरे देश में फैल चुका है। माओवादियों के गढ़ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं, जहां भारत के 85 प्रतिशत कोयला संसाधन मौजूद है, और ये सभी इलाके नक्सली लूटपाट का शिकार हैं (मैगियॉनकाल्डा, 2010)। चूंकि भारत की 40 प्रतिशत प्राथमिक ऊर्जा और 70 प्रतिशत बिजली उत्पादन का स्रोत कोयला है, इसलिए इसका असर पूरे देश पर सीधे तौर पर पड़ता है (यूएसईआईए, 2010, पृ.सं. 1.8)।

इसलिए माओवाद से खतरा ना सिर्फ देश के ग्रामीण इलाकों के आर्थिक और सामाजिक अल्पविकास का प्रत्यक्ष सबूत है बल्कि भविष्य में इन्हीं इलाकों के विकास के मार्ग में एक बाधा भी है। ये इस बात का उदाहरण है कि 'अन्याय, खासकर असमानता से उपजे अन्याय की भावना कैसे विद्रोह – वो भी खूनी विद्रोह का कारण बन सकती है' (सेन, 2008, पृ. 8)। ग्रामीण इलाकों में लोगों के जीवन में सुधार के लिए सरकार द्वारा संगठित विकास के प्रयासों की आवश्यकता होती है, लेकिन इन प्रयासों को माओवादी आतंक जोखिम में डाल रहा है।

अपराध, घरेलू हिंसा, आत्महत्या और अनजाने में की गई क्षति

आतंकवाद भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन अपराध, घरेलू हिंसा और आत्महत्याएं भी उतनी ही अहम हैं। एनसीआरबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि संख्या के स्तर और अनुपात, दोनों के लिहाज से, अपराध दर्ज कराने के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। 2009 में पुलिस को आपराधिक घटनाओं की कुल 66 लाख शिकायतें मिलीं जबकि 2005 में ये संख्या 50 लाख थी, यानि शिकायतें मिलने के मामलों में 33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई (एनसीआरबी, 2011ए, पृ.सं. 23)।

एक वैध और भरोसेमंद राष्ट्रीय गणना के अभाव की वजह से ये तय करना मुश्किल है कि ये बढ़ोत्तरी दरअसल अपराध की घटनाओं को दर्ज कराने के मामले में हुई है या वाकई अपराध की घटनाओं में इतनी वृद्धि हुई है। 2009 में आपराधिक हिंसा (शरीर पर हुई हिंसा) के मामले में देश के अलग-अलग हिस्सों से बिल्कुल अलग-अलग आंकड़े मिले। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में जहां प्रति एक लाख की

आबादी पर 10 अपराध की घटनाएं दर्ज की गईं वहीं दक्षिण भारत के पुडुचेरी में प्रति एक लाख की आबादी पर 111 अपराध की घटनाएं रिपोर्ट की गईं (एनसीआरबी, 2011ए, पृ.सं. 23,26)।

हिंसक मौत: हत्या और आत्महत्या

एनसीआरबी के मुताबिक, हत्या और आपराधिक वध (मैनस्ट्रॉटर) के पीछे मुख्य मकसद निजी दुश्मनी, जायदाद को लेकर विवाद, आर्थिक फायदे, करीबी साथी से विवाद और अवैध संबंध, दहेज, राजनीति, सांप्रदायिकता, और एनसीआरबी द्वारा परिभाषित पागलपन है (एनसीआरबी, 2010, पृ. सं. 55-56)। इनके शिकार आमतौर पर वयस्क युवक होते हैं, जिनमें से 45 प्रतिशत हत्या के शिकार लोगों की उम्र 18 से 30 साल के बीच होती है (एनसीआरबी, 2010, पृ.सं. 59)। वयस्क युवकों का ये तबका आर्थिक रूप से समाज का सबसे उपयोगी हिस्सा होता है, और इनकी मौत देश की इंसानी पूंजी के लिहाज से एक बड़ा नुकसान है।

दहेज की वजह से होनेवाली मौतें भारत

के लिए एक गंभीर समस्या है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2009 में घरेलू हिंसा की वजह से 8,383 मौतें हुईं जिनमें दहेज के लिए होनेवाली हत्याएं भी शामिल थीं। पति या रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना के मामले भले ही जानलेवा ना हों, लेकिन बेहद आम हैं। 2009 में पुलिस को ऐसी 89,546 शिकायतें मिलीं (एनसीआरबी, 2011ए, पृ. 81)। कलंक (स्टिग्मा) और कड़े दंड के प्रावधानों के बावजूद दहेज में उपहार लेना एक आम रिवाज माना जाता है। 'जल्द से जल्द पैसे बनाने के नए मंत्र के साथ दहेज भौतिक सुख की सीढियां चढ़ने का सबसे बढ़िया रास्ता बन गया,' और दहेज के लिए प्रताड़ित करना पारिवारिक जीवन का एक हिस्सा बन गया (विनायक, 1997)। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के एक अध्ययन के अनुसार, 'दहेज के आदान-प्रदान की तादाद उच्च वर्ग में ज्यादा होने के बावजूद 80 प्रतिशत दहेज हत्याएं और 80 प्रतिशत दहेज के लिए प्रताड़नाएं समाज के निचले और मध्यम तबके में होती हैं' (विनायक, 1997)।

आत्महत्याएं भारत में उतनी आम नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कीटनाशक पीकर



दहेज पीड़ितों के लिए दिल्ली में एक आश्रयगृह
© एलिजाबेथ डालजिएल/एपी फोटो

की गई आत्महत्याएं जानलेवा मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है (एडलस्टन एंड कोनराडसन, 2007)। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण इलाकों में देश की 72 प्रतिशत आबादी बसती है, जिनमें से अधिकांश अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। फसल को नुकसान पहुंचने पर या किसी तरह की घरेलू आपदा के बाद किसान अक्सर कर्ज के बोझ तले दब जाया करते हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं (पटेल, 2007, नागराज, 2008)। अप्रैल 2009 की एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में एक साल की फसल के बर्बाद हो जाने पर कर्ज ना चुका पाने की मजबूरी में करीब 1,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी (द इंडिपेन्डेन्ट, 2009)। माओवादी विद्रोह से प्रभावित अन्य राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है (एनसीआरबी, 2011बी, पृ.सं. 171-72)।

जैसा कि एनसीआरबी द्वारा बताया गया है, जहर खाना और फांसी लगाना आत्महत्या के दो सबसे प्रचलित तरीके हैं, जिनका क्रमशः 34 और 32 प्रतिशत मामलों में इस्तेमाल हुआ। 9 प्रतिशत लोगों ने आत्मदाह द्वारा खुदकुशी की तो 6 प्रतिशत ने डूबकर जान दे दी (एनसीआरबी, 2011बी, पृ. 184)। सबसे ज्यादा उन लोगों ने आत्महत्या की जो स्वरोजगार में थे— 2009 में रिपोर्ट हुए आत्महत्या के 127,151 मामलों में से करीब 40 प्रतिशत (एनसीआरबी, 2011बी, पृ. 182)।

हिंसक अपराध का संदर्भ

अपराध के पीछे कई सामाजिक-आर्थिक कारण होते हैं, जिनमें गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, तेजी से होता शहरीकरण और अनियंत्रित

शहरी प्रवसन (माइग्रेशन) शामिल है (जीडी सेक्रेटेरियट, 2007, अध्याय 3)। सुरक्षा उपकरणों की अक्षमता और दंड मुक्ति को लेकर आम लोगों में व्याप्त धारणा इसके अन्य कारण हैं। अक्षमता हमेशा ढांचा संबंधी कारणों से नहीं होती, कई मामलों में सुरक्षाकर्मियों की कमी, उपलब्ध सुरक्षा बलों की तादाद की दृष्टि से असमान तैनाती और हथियारों और प्रशिक्षण का अभाव भी सुरक्षा बलों की क्षमता को प्रभावित करता है। एनसीआरबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2009 में प्रति 100 वर्ग-किलोमीटर पर सिर्फ 49.2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे जबकि प्रति एक हजार लोगों की आबादी पर सिर्फ 1.3 कॉन्स्टेबल थे (एनसीआरबी, 2011ए, पृ.सं. 169)।

खबरों के अनुसार भ्रष्टाचार ने पुलिस को अपराधियों, विवेकहीन नेताओं और बड़े-छोटे ठेकेदारों के प्रभुत्व के सामने और कमजोर बना दिया है (वेणुगोपालन, 2002, पृ.सं. 97)। सोमैया बताते हैं कि कैसे ये आम धारणा बन गई है कि पुलिसकर्मी – चाहे वे केन्द्र सरकार के हों, राज्य के या फिर किसी समुदाय के – कानून लागू करने में ना तो निष्पक्ष हैं ना राजनीति से तटस्थ हैं (सोमैया, 2002, पृ. 908)। वेणुगोपालन ने कहा है कि 'नेताओं और अफसरों के लिए अपने वर्चस्व की लड़ाई में पुलिस का इस्तेमाल करना एक आम बात हो गई है, जो पुलिस की आजादी और जवाबदेही को कमजोर कर देता है' (वेणुगोपालन, 2002, पृ.सं. 97)। भ्रष्टाचार की वजह से पुलिस अपराध की कम रिपोर्टिंग करती है और गहरी जांच से बचने की कोशिश करती है। हालांकि पूरे भारत की पुलिसिंग व्यवस्था पर ये लागू होता हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस भ्रष्टाचार, सुविधाओं, हथियारों और प्रशिक्षण का अभाव व्यापक रूप से देश में बढ़ते अपराध


की समस्या का हिस्सा मान लिए गए हैं (वर्मा, 1999)।

अपराधियों के संगठित नेटवर्क शहरों में अपराध की समस्या को और बढ़ा देते हैं। ये नेटवर्क पैसे की वसूली करते हैं, फिरौती के लिए अपहरण करते हैं, काले धन को इधर-उधर करते हैं और हथियारों की अवैध सौदागरी के अलावा महिलाओं, बच्चों और ड्रग्स की तस्करी करते हैं (लाल, 2007)। अपराधियों और आतंकवादियों का गठबंधन भी चिंता का विषय है। अपराधी संगठन आतंकवादी समूहों को उनकी गतिविधियों को अंजाम देने या छुपाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जबकि अपराध के ठेकेदार आतंकवादियों के जंगी हुनर और नेटवर्क से लाभान्वित होते हैं (गुणरत्न और आचार्य, 2007, पृ.सं. 100)। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है 1993 में मुंबई हमलों को अंजाम देने के आरोपी टाइगर मेमन और मूलचंद शाह (उर्फ चौकसी), जिनपर अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए गैरकानूनी धन को अपराधियों के नेटवर्क से इधर-उधर पहुंचाने का आरोप है। उसी तरह, मुंबई बम विस्फोटों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का भी अपराधियों का देशी और विदेशी नेटवर्क दूर-दूर तक फैला हुआ है (सरकार और तिवारी, 2001)।

अपराधियों के ये गैंग गैरकानूनी हथियारों के व्यापार में भी शामिल होते हैं (लाल, 2007)। ज्यादातर अपराधों को अंजाम देने के लिए गैरकानूनी हथियारों का इस्तेमाल होता है (एनसीआरबी, 2011ए, पृ. 340)। दस सालों के भीतर पुलिस ने 4,500 गैरकानूनी हथियारों को पकड़ा। एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं कि 2009 में हत्या के सिर्फ 371 मामलों में लाइसेंसप्राप्त हथियारों का इस्तेमाल हुआ जबकि 2,722 मामलों में गैरलाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया (एनसीआरबी, 2011ए, पृ. 340)। हालांकि कुछ हत्याएं लाइसेंसी बंदूकों से हुईं, लेकिन अपराध के लिए इस्तेमाल होनेवाली ज्यादातर बंदूकें गैरकानूनी कट्टे होते हैं, जिनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश या बिहार में बनते हैं। इनका एक छोटा हिस्सा विदेशों से भी बनकर आता है और देश में तस्करी करके लाया जाता है।


चित्र 8 महिलाओं के खिलाफ अपराध

■ रिपोर्ट की गई घटनाएं



स्रोत: एनसीआरबी, 2011ए

चित्र 9 केन्द्र सरकार रक्षा और पुलिस/अर्धसैनिक बजट (बिलियन रूप में)



स्रोत: गृह मंत्रालय, 2009, पृ. 116, रक्षा मंत्रालय, 2010बी, पृ. 173, रक्षा मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट

महिलाएं और हिंसा

महिलाएं सशस्त्र हिंसा का खासतौर पर शिकार होती हैं, हालांकि उनकी कमजोरी और उत्पीड़न आधिकारिक आंकड़ों में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले तेजी से बढ़े हैं (चित्र 8)। महिलाएं हिंसा का सीधे-सीधे शिकार ही नहीं होतीं, स्पष्ट तौर पर नजर ना आनेवाले अप्रत्यक्ष प्रभावों का शिकार भी होती हैं। इन दोनों पहलुओं की बेहतर जांच-पड़ताल और इनपर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।

जिनिवा घोषणापत्र में कहा गया है कि 'महिलाएं और लड़कियों पर सशस्त्र हिंसा का अलग-अलग तरीकों से प्रभाव पड़ता है। सशस्त्र हिंसा में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघर्ष हिंसा और घातक तथा अघातक संघर्षतर हिंसा भी शामिल है' (जीडी, 2008, पृ.106)। वर्ल्ड बैंक की आधिकारिक रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 का निष्कर्ष है कि हिंसा का सीधा असर मुख्य रूप से युवकों पर पड़ता है, जिनके अपराध, गैंग या संघर्ष में शामिल होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। परिवारों के तबाह हो जाने के बाद खासकर महिलाओं पर हिंसा के अप्रत्यक्ष लेकिन गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। हो सकता है, हिंसक आक्रमणों में उनके मौत की संभावना कम हो, लेकिन महिलाओं और बच्चों पर हिंसा की वजह से भावनात्मक सदमे, गरीबी और बेघर हो जाने जैसी समस्याओं का गहरा असर पड़ता है (वर्ल्ड बैंक, 2011, पृ.सं. 6)।

एनसीआरबी महिलाओं के साथ होनेवाली कई तरह की हिंसा पर जोर जरूर देता है,

जैसे बलात्कार, दहेज हत्या, सती और यौन शोषण (एनसीआरबी, 2011ए, अध्याय 5)। लेकिन एनसीआरबी द्वारा जमा किए गए आंकड़ों में लिंगभेद की वजह से हुए अपराधों और हिंसा को अलग नहीं रखा जाता और महिलाओं पर गंभीर प्रभाव के बावजूद आधिकारिक आंकड़े हिंसा और अपराध के लिंगभेद से जुड़े व्यापक पहलुओं पर अभी भी जोर नहीं डालते, ना ही महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करनेवाले अप्रत्यक्ष प्रभावों की चर्चा करते हैं।

सामाजिक संगठनों ने इस समस्या पर प्रकाश डालने में एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन भारत में अभी भी नीति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण साधनों की कमी है, खासकर एक ऐसी प्रक्रिया की, जिसके तहत पति या रिश्तेदारों द्वारा की जा रही हिंसा को आंका जा सके, जो महिलाओं पर होनेवाली हिंसा का सबसे आम रूप है। महिलाओं से शुरू करके समाज के कमजोर तबकों पर ध्यान रखना भारत में हिंसा पर नजर रखने की दिशा में एक अहम कदम है।

बजट और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

सरकारी खर्च इंसानी सुरक्षा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खतरों पर जोर देता है। 2008-09 में, जिसके हालिया और सबसे सटीक आंकड़े उपलब्ध हैं, पुलिस और अर्धसैनिक बलों का बजट 20,600 करोड़ रूपए (4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर), जो कि राष्ट्रीय रक्षा पर खर्च किए जानेवाले बजट – 105,600 करोड़ रूपए (23 बिलियन अमेरिकी डॉलर) – का पांचवां हिस्सा था (चित्र 9)।

ऐसी तुलनाओं की भी अपनी सीमाएं हैं। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, दोनों के लिए पिछले कुछ सालों में बजट बढ़ा है, हालांकि इस वृद्धि की दर अलग-अलग रही है, लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर होनेवाले खर्चों की तुलना में रक्षा खर्च पांच से सात गुना अधिक होता है। गृह मंत्रालय का पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए बजट बहुत समावेशी नहीं होता क्योंकि बाकी मंत्रालय और राज्य सरकारों का कानून को अमल में लाने के लिए तय खर्च पर अधिक नियंत्रण होता है। साथ ही रक्षा मंत्रालय भी आतंकवादविरोधी गतिविधियों में सहयोग करता है। इन सीमाओं के बावजूद बजट पर अलग-अलग तरह के प्रभाव राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में मतभेद को दर्शाते हैं।

नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए हमलों के बाद घरेलू सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियों – खासकर अर्धसैनिक बलों, केन्द्रीय और राज्य के पुलिस बलों और जांच एजेंसियों के बजट में 25 प्रतिशत इजाफा किया गया (होमलैंड सिक््योरिटी रिसर्च, 2009)। गृह मंत्रालय ने 2004 से 2009 के बीच पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए संयुक्त राजस्व और खर्च (ऑपरेशन्स और उपकरण) अचानक 10,600 करोड़ रूपए (2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से बढ़ाकर 20,600 करोड़ रूपए (4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) कर दिया, और इस चलन के अभी कायम रहने की ही संभावना है (पीटीआई, 2009)।

रक्षा पर किए गए खर्च ज्यादातर पारंपरिक उच्च कोटि की प्रतिरोधक शक्तियों और परमाणु सैन्य क्षमताओं पर होते हैं। रक्षा मंत्रालय की पूंजी के खर्च (कैपिटल स्पेंडिंग) का बड़ा हिस्सा उपकरणों की सरकारी खरीद यानि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हथियार खरीदने में जाता है (बेहरा, 2010)। लेकिन ये सारी बढ़ोत्तरी जहां विदेशी खतरों से निपटने की तैयारी के लिए है, वहीं खासतौर पर नवंबर 2008 के हमलों के बाद इनमें से कुछ घरेलू आतंकवाद से निपटने में भी इस्तेमाल होते हैं। सैन्य खर्चों से पूरी तरह आंतरिक सुरक्षा पर किए गए खर्चों को अलग करके देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सेना का एक बड़ा हिस्सा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी तैनात किया गया है (इंडिया टुडे, 2010)। सीमा पार से आनेवाले आतंकवादी खतरे और किसी आतंकवादी हमले की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के छिड़ने की



पंडेवर के एक गांव में पुनर्मतदान के समय नक्सली हमले से निपटने के लिए पहरा देते सलवा जुडम के सदस्य, नवंबर 2008
© ऐंड्रियन फिस्क

संभावना आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा पर हुए खर्च के बीच की लकीर को और धुंधला कर देते हैं।

उलझनें

सशस्त्र हिंसा के जिन तीन पहलुओं पर यहां चर्चा हुई, वे अपनी पहुंच और प्रभाव के लिहाज से काफी अलग-अलग हैं। आतंकवाद और विद्रोह का असर उनसे होनेवाली मौतों और जख्मों से कहीं ज्यादा दूरगामी है, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास कमजोर होता है। लेकिन जहां तक मृतकों की संख्या का सवाल है, आपराधिक हिंसा और आत्महत्या पर भी थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भी स्पष्ट है कि सशस्त्र हिंसा पर बेहतर आंकड़ों की जरूरत है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताएं स्पष्ट हो सकें और एक प्रभावी नीति का निर्धारण हो सके। पब्लिक सर्वे रिसर्च से सशस्त्र हिंसा की गंभीरता और उसके

रूप का पता चल सकेगा, और इससे मौजूदा आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर उठनेवाले संदेहों का समाधान हो सकेगा।

उच्च अपराध दर, किसानों द्वारा आत्महत्याएं, लिंग भेद और उससे होनेवाली घरेलू हिंसा और दहेज हत्याएं, सांप्रदायिक हिंसा और संप्रदायवादी हिंसा इस बात की सूचक हैं कि क्यों सामाजिक या आर्थिक रूप से भारत की तरक्की नहीं हो सकी है। आतंकवाद, विद्रोह और अलगाववाद के आंदोलनों की जड़ें भीषण गरीबी, सामाजिक भेदभाव और जातीय तनावों में मौजूद हैं जिनकी ना कभी सही तरीके से पहचान की गई ना इनसे प्रभावी तरीके से निपटा जा सका। आतंकवाद, विद्रोह और हिंसक अपराधों के मूल कारण एक ही हैं, इसलिए इन समस्याओं से साथ-साथ निपटना जरूरी है।

भारत सशस्त्र हिंसा की चुनौती से कैसे निपटेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि जिन

समस्याएं की ऊपर चर्चा हुई है उनमें से कुछ, जैसे जातीय हिंसा और दहेज से जुड़ी हिंसा, भारत के मामले में गंभीर हैं तो कुछ अन्य देशों में फ़ैली समस्याओं की तरह है। सशस्त्र हिंसा और यहां तक कि निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर भारत सरकार की अन्य देशों के साथ सीमित बातचीत की वजह से भारत दूसरे देशों के अनुभवों और सीखों का पूरी तरह फायदा नहीं उठा पा रहा है।

इस समीक्षा में जो समस्या बार-बार उभरकर सामने आई है वो अधिकारियों में आपसी तालमेल का अभाव है। सशस्त्र हिंसा पर अधिकारियों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई दफ्तरशाहों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र के बीच अलग-अलग होती है, जिसपर विभिन्न संस्थानों या सरकार या गैर-सरकारी संगठनों के बीच बहुत सीमित तालमेल होता है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए खर्च बढ़ाने को तो तैयार है, लेकिन इसपर एक सशक्त नीति बनाने की दिशा में धीमी गति

से चल रही है जो ना सिर्फ सशस्त्र हिंसा की व्यापक समस्या को संबोधित करे बल्कि सरकार ऐसे सिद्धांतों को ग्रहण करे जिससे देश और समाज के बीच जिम्मेदारियों और सहयोग का भाव पनपे – ये वैसे सिद्धांत हों जिन्हें अन्य जगहों पर भी तेजी से स्वीकार किया जा रहा है।

सशस्त्र हिंसा की समस्या की दिशा में उठाए जानेवाले समुचित कदमों के मामले में ये जरूरी है कि वे ना सिर्फ हथियारबंद लोगों से होनेवाले खतरों से निपट सकें बल्कि वे आर्थिक विकास और ढांचे संबंधी जरूरतों और सुविधाएं प्रदान करने, ज्यादा प्रभावी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने और प्रशासन में सुधार लाने की भी आवश्यकता की ओर भी ध्यान रखें (क्रिस्टेनसेन एंड लॉग्रां, 2007)। राज्य के स्तर पर भी उग्रवाद, युवा गैंगों की हिंसक गतिविधियों और स्थानीय आतंकवाद से निपटने के लिए इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए (किलकुलेन, 2010)। सशस्त्र हिंसा से निपटने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सिलसिलेवार पहल की जरूरत है, जिसमें भारत को महारत हासिल है।

सशस्त्र हिंसा की समस्या के समाधान के लिए भारत को और अधिक खर्च करने की आवश्यकता है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि इन समस्याओं से निपटारे के लिए खर्च कैसे किए जा रहे हैं। ये पहल मजबूत साक्ष्यों और खर्च के समझदारी से किए गए आकलन के आधार पर होने चाहिए ताकि सशस्त्र हिंसा में कमी और उसकी रोकथाम की दिशा में होनेवाले फायदों का मूल्यांकन किया जा सके। केन्द्र सरकार ऐसी संगठित कार्रवाई के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिनिधि है। लेकिन इसके लिए संस्थागत सहयोग – जिनमें विभिन्न मंत्रालय, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें, और निजी संस्थान शामिल हैं – की अभी शुरुआत ही हुई है। ■

नोट

इस विषय विवरण को अरविंद आचार्य और ऐरॉन कार्प ने लिखा, सोनल मारवाह ने इसके आकड़े अपडेट किए, अंतरराष्ट्रीय हत्या दरों की तालिका तैयार की और तथ्यों की जांच की। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की अंजलि

कृष्णन ने रिसर्च में सहयोग किया।

- 1 एलिजाबेथ गिलगेन, स्मॉल आर्म्स सर्वे रिसर्चर, के साथ पत्र व्यवहार, जनवरी 2011
- 2 'मुठभेड़ में मौतें' पुलिस बलों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या दर्शाता है, जबकि 'न्यायेतर मौत' से तात्पर्य अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों से है
- 3 आकांक्षा मेहता, रिसर्च एनालिस्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोलिटिकल वायलेंस एंड टेररिज्म रिसर्च, सिंगापुर, के साथ बातचीत पर आधारित, जो उन्होंने कश्मीर के आत्मसमर्पण करनेवाले आतंकवादियों के साथ किए गए इंटरव्यू के आधार पर की, 26–29 अप्रैल 2010

संदर्भग्रंथ सूची

- आचार्य, अमिताभ, 2004. एज ऑफ फियर: पावर वर्सेस प्रिंसिपल इन द वॉर ऑन टेरर, नई दिल्ली: रूपा.
- आचार्य, अमिताभ, सुब्रत के सिंहदेव, और एम. राजारत्नम. 2010. ह्यूमन सेक्योरिटी . फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिस: केस स्टडीज फ्रॉम नॉर्थईस्ट इंडिया एंड ओडिसा. सिंगापुर: वर्ल्ड साइटिफिक
- आचार्य, अरविंद. 2006. 'टेररिज्म एंड रिजनल सिक््योरिटी: डिफेन्सिविटींग द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इन एशिया.' ग्लोबल टेररिज्म: जेनेसिस, इम्पलिकेशन्स, रेमेडियल एंड काउंटर मेजर्स. इस्लामाबाद: इन्स्टीट्यूट ऑफ रिजनल स्टडीज
- आचार्य, अमिताभ. 2002. 'ह्यूमन सिक््योरिटी इन एशिया: कॉन्सेप्चुअल एम्बिगुइटीज एंड कॉमन अन्डरस्टैंडिंग्स.' मैन एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम XXIV, नंबर 4, दिसंबर.
- एएफपी (एजेंसी फ्रांस-प्रेस). 2011. 'इंडिया टू पुल 10,000 टूप्स फ्रॉम कश्मीर.' 13 फरवरी.
- एआई (एमनेस्टी इंटरनेशनल). 2009. एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2009: स्टेट ऑफ द वर्ल्डस ह्यूमन राइट्स. लंदन: एमनेस्टी इंटरनेशनल.
- द आर्म्ड फॉर्सेस (स्पेशल पावर्स) एक्ट (एफएसपीए), 1958. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय.
- बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन). 2011. 'इंडिया टू कट कश्मीर टूप्स बाई ए क्वार्टर.' 14 जनवरी.
- बेहरा, लक्ष्मण के. 2010. 'बजटिंग फॉर इंडियाज डिफेन्स: एन एनालिसिस ऑफ डिफेंस बजट 2010–11 एंड द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द थर्डिथ फाइनेंस कमीशन ऑन फ्यूचर डिफेंस स्पेन्डिंग.' इन्स्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (आईडीएसए) कमेन्ट. 3 मार्च.
- भौमिक, सुबीर, 2004. 'एथनिसिटी, आइडेन्टिटी एंड रेलिजन: सेपरेटेस्ट मूवमेंट्स इन इंडियाज नॉर्थईस्ट.' एस.पी. लिमये, मोहन मलिक, और रॉबर्ट जी. वीरसिंह, संपादकीय रेलिजियस रैडिकलिज्म एंड सेक्योरिटी इन साउथ एशिया. होनोलूलू: एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सेक्योरिटी स्टडीज.
- 2007. इन्सर्जेंन्सिज इन इंडियाज नॉर्थईस्ट: कॉन्फ्लिक्ट, को-ऑप्शन एंड चेन्ज. वर्किंग पेपर. वॉशिंगटन, डीसी: ईस्ट-वेस्ट सेंटर.
- चक्रमा, भूमिना, 2009. 'साउथ एशियाज रिप्लिस्ट फैसिनेशन एंड इट्स ऑल्टरनेटिव्स.' कॉन्टेम्प्लरी सेक्योरिटी पॉलिसी. वॉल्यूम 30, नंबर 3. दिसंबर. पृष्ठ संख्या 395–420.
- चारी, पी.आर. 2006. 'सोर्सिज ऑफ न्यू डेलीज कश्मीर पॉलिसी.' वाहेगुरु पाल सिंह सिंधु, बुशरा आसिफ और सायरस सामी के संपादकीय. कश्मीर: न्यू

- वॉयसेज, न्यू अप्रोचेज. लंदन: लाइन राइनर.
- क्रिस्टेनसेन, टॉम एंड पर लाग्रेड. 2007. होल-ऑफ-गवर्नमेंट अप्रोच टू पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, वॉल्यूम 67. नंबर 6. नवंबर-दिसंबर, पृष्ठ संख्या 1059–66.
- द इकॉनोमिस्ट. 2010. 'कश्मीर ट्रबल्स: शेकिंग द माउन्टेन्स.' 29 दिसंबर, पृष्ठ संख्या 38–39.
- एडलस्टन, माइकल एंड फ्लेमिंग कॉन्ग्रेसन. 2007. 'कमेन्ट्री: टाईम फॉर अ रि-असेसमेंट ऑफ द इनसिडेस ऑफ इंटरनेशनल एंड अनइन्टेनशनल इन्जरी इन इंडिया एंड साउथ इस्ट एशिया.' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, वॉल्यूम 36, पृष्ठ संख्या 208–11.
- जिनिवा डेक्लेरेशन सेक्रेटरीयट (जीडी सेक्रेटरीयट). 2007. द ग्लोबल बर्डन ऑफ आर्म्ड वायलेंस. जिनिवा: जीडी सेक्रेटरीयट.
- गिल, कवर पाल सिंह, 1997. द नाइट्स ऑफ फॉल्सहूड. नई दिल्ली: साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल.
- गुणरत्ना, रोहन और अरविंद आचार्य. 2007. 'टेररिस्ट फाइनेंस एंड द क्रिमिनल अंडरग्राउंड.' माइकल इनेस, संपादकीय डिनायल ऑफ सैक्चुररी, अंडरस्टैंडिंग टेररिस्ट सेव हेवनस. वेस्टपोर्ट, कनेक्टिकट: प्रायगर पब्लिकेशन्स
- हॉफमैन, ब्रूस. 2006. इनसाइड टेररिज्म, संशोधित. न्यू यॉर्क कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस.
- होमलैंड सेक्योरिटी रिसर्च, 2009. 'इंडियाज होमलैंड सेक्योरिटी बजट एंड रिकवायरमेंट्स फॉर 2009-10.' वॉशिंगटन, डीसी, 22 जुलाई.
- आईआईएसएस (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज). 2010. मिलिट्री बैलेंस 2010: द एनुअल असेसमेंट ऑफ ग्लोबल मिलिट्री केपेबिलिटीज एंड डिफेंस इकॉनॉमिक्स. लंदन: आईआईएसएस.
- द इंडिपेन्डेन्ट (लंदन). 2009. '1,500 फार्मर्स कमिट सुइसाइड इन इंडिया.' 15 अप्रैल.
- इंडिया टुडे. 2010. 'संपूर्ण बजट भाषण.' 16 फरवरी.
- इंडियन एक्सप्रेस. 2009. 'नक्सलियज ग्रेवेस्ट इंटरनल सेक्योरिटी थ्रेट: पीएम.' 15 सितंबर.
- किलकुलेन, डेविड. 2010. काउंटरइन्सर्जेंसी. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- लाल, रॉली. 2007. 'साउथ एशियन ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड लिकेजेस टू टेररिस्ट नेटवर्क्स.' किबुरले एल. थायुक के संपादकीय में ट्रांसनेशनल थ्रेट्स: स्मगलिंग एंड ट्रेफिकिंग इन आर्म्स, ड्रग्स, एंड ह्यूमन लाइफ. वेस्टपोर्ट, कनेक्टिकट: प्रायगर पब्लिशर्स.
- मैगियोनकाल्डा, विलियम. 2010. 'ए मॉडर्न इनसर्जेंन्सी: इंडियाज इवॉल्विंग नैक्सलाइट प्रॉबलम.' साउथ एशिया मॉनिटर, नंबर 140. वॉशिंगटन डीसी: सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज.
- गृह मंत्रालय. 2001. इंडिया एट ए ग्लांस – रुरल-अर्बन डिस्ट्रिब्यूशन. नई दिल्ली: ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेन्सस कमिश्नर, गृह मंत्रालय.
- 2009. भारत सरकार गृह मंत्रालय आउटकम बजट 2008–09. नई दिल्ली, गृह मंत्रालय. पृ.सं. 116
- 2010ए. 2009–10 वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय.
- 2010बी. भारत सरकार गृह मंत्रालय आउटकम बजट 2010–11. नई दिल्ली, गृह मंत्रालय. पृ.सं. 173.
- मिश्रा, पंकज. 2010. 'कश्मीर: द वर्ल्डस मोस्ट डेंजरस प्लेस.' न्यू यॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, 4 मार्च.
- रक्षा मंत्रालय. 2011. रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2009–10, वर्ष 2008–09, वर्ष 2007–08, वर्ष 2006–07, वर्ष 2005–06 और वर्ष 2004–05. नई दिल्ली. रक्षा मंत्रालय.

मुग्गाह, रॉब. 2009. 2009. सिक्युरिटी एंड पोस्ट-कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन: डीलिंग विथ फा. इटर्स इन द आपटरमैथ ऑफ वार. न्यू यॉर्क. राउ. टलेज.

नागराज, करकडा. 2008. 'फार्मर्स सुसाइड इन इंडिया: मैग्नीट्यूड्स, ट्रेन्ड्स एंड स्पेशियल पैटर्न्स.' मद्रास. मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, मार्च.

नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन). 2010. 'इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिसटेन्स फॉर्स एंड अफगान नेशनल आर्मी स्ट्रेन्थ एंड ले डाउन.' 1 फरवरी.

एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो). 2010. क्राइम इन इंडिया-2008. नई दिल्ली: एनसीआरबी (गृह मंत्रालय).

— 2011ए. क्राइम इन इंडिया-2009. नई दिल्ली — एनसीआरबी (गृह मंत्रालय).

— 2011बी. एक्सिडेंटल डेथ्स एंड सुइसाइड्स इन इंडिया-2009. नई दिल्ली: एनसीआरबी (गृह मंत्रालय).

नेपराम, बीनालक्ष्मी. 2009. द इमर्जेंस ऑफ द मणिपुरी वूमन गन सर्वाइवर्स नेटवर्क. नई दिल्ली: कंट्रोल आर्म्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया (सीएएफआई).

पटेल, राज. 2007. स्टपड एंड स्टार्ट. लंदन: पॉर्टबेलो बुक्स.

प्रकाश, वेद. 2009. टेररिज्म इन इंडिया. नई दिल्ली: कल्पाज पब्लिकेशन्स.

पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया). 2009. 'मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गेट्स व्हाईटिंग 33: हाईक.' 6 जुलाई.

रमना, पी.बी. 2009. 'माओइस्ट्स टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट (टीयूएफ) एंड अर्बन मूवमेंट.' फेलोज सेमिनार, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अनालिसिस, 10 जुलाई.

आरयूपीई (रिसर्च यूनिट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी). 2005. आस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, नंबर 39 एंड 40. मुंबई: आरयूपीई, जून.

सैकिया, जयदीप. 2001. कॉन्सुअर्स एसेज ऑन सेक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी. गुवाहाटी: सैजिटेरियस प्रिंट.

सरकार, सुमिता एंड अरविंद तिवारी. 2001. 'कॉन्बैटिंग ऑर्गनाइज्ड क्राइम: अ केस स्टडी ऑफ मुंबई सिटी.' फॉल्टलाइन्स. वॉल्युम 12.

एसएटीपी (साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल). 2009ए. 'फेटलिटीज इन टेररिस्ट वायलेंस इन इंडियाज नॉर्थईस्ट.' नई दिल्ली: एसएटीपी.

— 2009बी. 'फेटलिटीज-लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म.' नई दिल्ली: एसएटीपी.

— 2010. 'इंडियाज फेटलिटीज 2010.' नई दिल्ली: एसएटीपी.

सेन, अमर्य. 2008. 'वायलेंस, आइडेन्टिटी एंड पोवर्टी.' जर्नल ऑफ पीस रिसर्च, वॉल्युम. 45, नं. 5, पृ.सं. 5-15

सोमैया, पी.ई. 2002. 'पुलिस इमेज.' पी.जे. एलेक्जेंडर का संपादकीय. 'पुलिसिंग इन इंडिया इन द न्यू

मिलेनियम.' मुंबई: अलायड पब्लिशर्स.

यूएनओडीसी (यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम). 2011. होमिसाइड स्टैटिस्टिक्स. <<http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html>>

यूएसडीओएस (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट). 2009. कन्ट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म. वॉशिंग्टन, डीसी.

यूएसओडीसी, ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ काउंटरटेररिज्म.

यूएसआईए (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन्फोर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन). 2010. कन्ट्री एनालिसिस ब्रीफ्स: इंडिया. वॉशिंग्टन डीसी: यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन्फोर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन.

वेंकटरमानी, आर. 2010. नक्सलाइड्स अर्बन पुश: विल दे सक्सिड? इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च इश्यू ब्रीफ, नंबर 138, 10 फरवरी.

वेणुगोपालन, एम.जी. 2002. 'पुलिस एंड पोलिटिकल पार्टीज: द पॉलिटिशियन-पुलिस-क्रिमिनल नेक्सस.' पी.जी. एलेक्जेंडर का संपादकीय. पुलिसिंग इन इंडिया इन द मिलेनियम. मुंबई: अलायड पब्लिशर्स.

वर्मा, अरविंद. 1999. 'कल्चरल रूट्स ऑफ पुलिस करप्शन इन इंडिया.' पुलिसिंग: एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पुलिस स्ट्रेटेजिज एंड द मैनेजमेंट में, वॉल्युम 22, नं. 3, पृ.सं. 264-79.

विनायक, रमेश. 1997. 'विक्टिम्स ऑफ सडेन इन्पलुएंस.' इंडिया टुडे, 15 दिसंबर.

भारत सशस्त्र हिंसा आकलन के विषय में

भारत सशस्त्र हिंसा आकलन (इंडियन आर्म्स वायलेंस असेसमेंट या IAVA) रिसर्च को बढ़ावा देता है और सशस्त्र हिंसा के कारणों और निष्कर्षों को समर्पित भारतीय समाज-शास्त्र शोध समुदायों को शोध के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर तैयार किया गया ये समूह सुरक्षा के विभिन्न कारकों, हिस्सेदारों और सक्षम संस्थानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की खोज करता है। आईएवीए का मकसद भारत में इन मुद्दों पर साक्ष्य-आधारित बहस छेड़ना और वैश्विक नीतियों और कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान को आगे बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट को स्मॉल आर्म्स सर्वे का समर्थन प्राप्त है।

आईएवीए के विषय विवरण या इश्यू ब्रीफ सशस्त्र हिंसा से जुड़े मुख्य प्रसंगों पर जानकारियों की स्थिति का जायजा लेते हैं। स्मॉल आर्म्स सर्वे द्वारा कमीशन किए गए ये विषय विवरण संघर्ष और अपराध से जुड़ी हिंसा, अपराध करनेवालों और अपराध के शिकार लोगों के विषय में, किसी खास किस्म की हिंसा को रोकने और कम करने के लिए रणनीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार हैं। इन्हें तैयार करते हुए सशस्त्र हिंसा के पैमाने और रूपों तथा उसकी उग्रता, उसके कारणों और जवाबी नीतियों के प्रभाव से जुड़े शोध पर ध्यान दिया जाता है, और ये शोध आंकड़ों पर आधारित होते हैं।

आईएवीए विषय विवरण अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। इन्हें www.smallarmssurveyindia.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी प्रिंट कॉपियां स्मॉल आर्म्स सर्वे से प्राप्त की जा सकती हैं।

क्रेडिट

कॉन्टेन्ट एडिटर : डायना रॉड्रिगज
कॉपी-एडिटर : कैथरीन रॉबिनसन
प्रूफ रीडर : स्ट्रैचैन
अनुवादक : अनु सिंह
डिजाईन एंड लेआउट : रिचर्ड जॉन्स

संपर्क का पता

ऐरॉन कार्प, आईएवीए प्रोजेक्ट मैनेजर : akarp@odu.edu
सोनल मारवाह, प्रोजेक्ट रिसर्चर : sonal.marwah@smallarmssurvey.org

इंडियन आर्म्स वायलेंस असेसमेंट
EP - 16/17, चंद्रगुप्त मार्ग चाणक्यपुरी
नई दिल्ली - 110021

स्मॉल आर्म्स सर्वे
47 एवेन्यू ब्लॉक 1202 जिनिवा
स्विटजरलैंड

t +41 22 908 5777 f +41 22 732 2738



India
Armed Violence
Assessment
A project of the Small Arms Survey

